भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश,
भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स,
नर्मदापुरम रोड, भोपाल–462011
Phone: 0755-2554821 & 2764037
Fax: 0755-2557452
E-mail: srdagaebhopal@cag.gov.in

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT,
Office of the Accountant General
(A & E) Madhya Pradesh,
Bhopal Branch, 53, Arera Hills,
Narmadapuram Road, Bhopal-462011
Phone: 0755-2554821 & 2764037
Fax: 0755-2557452
E-mail: srdagaebhopal@cag.gov.in

DAG (WAcs) / Sectt./ 2026-27/ D-54 Date: 07.07.2026

प्रति,

मध्यप्रदेश के विभिन्न निर्माण संभागों (PWD, WRD, PHE) ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा (RES) एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के समस्त कार्यपालन यंत्री जो कि संभागीय लेखापाल संवर्ग अधिकारी / कर्मचारी के विषय में रिपोर्टिंग अधिकारी हैं |

**विषयः संभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने संबधित पत्रों बावत |**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न संभागों द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले कुछ पत्रों को इस कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रेषित किया जा रहा है |

साथ ही यह भी लेख है कि इस कार्यालय को email के माध्यम से प्रेषित किये जाने वाली जानकारी में पूर्ण विषय एवं सम्वंधित संभागीय लेखापाल संवर्ग अधिकारी / कर्मचारी (जिसके संबंध में पत्र प्रेषित किया जा रहा है) के नाम एवं पद का उल्लेख ना होना भी संज्ञान में आया |

अतः इस संबंध में लेख है कि इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने संबंधी कोई भी पत्राचार (जो की पूर्व में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र, जो किसी अन्य अधिकारी / प्राधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया हो, का प्रत्युत्तर हो, के अतिरिक्त) उप महालेखाकार (निर्माण लेखा), कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.) म.प्र., भोपाल शाखा को संबोधित करते हुए प्रेषित किया जाए एवं यदि पत्र email के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है तो email में पूर्ण विषय एवं सम्बंधित संभागीय लेखापाल संवर्ग अधिकारी / कर्मचारी (जिसके संबंध में पत्र प्रेषित किया जा रहा है) के नाम एवं पद का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाए |

यह पत्र उप महालेखाकार (निर्माण लेखा) द्वारा अनुमोदित है |

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी
निर्माण विविध - I

प्रति,

समस्त संभागीय लेखापाल संवर्ग अधिकारी / कर्मचारी, मध्य प्रदेश को उक्त पत्र को सम्वंधित कार्यपालन यंत्रियों के संज्ञान में लाने एवं आपके द्वारा इस कार्यालय से किये जाने वाले पत्राचार में अधिकारिक email के इस्तेमाल एवं email के माध्यम से प्रेषित किये जाने पत्र के email में पूर्ण विषय लिखे जाना सुनिश्चित किये जाने सम्बंधित निर्देश के अनुपालन हेतु प्रेषित |

**वरिष्ठ लेखाधिकारी**
**निर्माण विविध - I**

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश,
भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स,
नर्मदापुरम रोड, भोपाल–462011
Phone: 0755-2554821 & 2764037
Fax: 0755-2557452
E-mail: srdagaebhopal@cag.gov.in

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT,
Office of the Accountant General
(A & E) Madhya Pradesh,
Bhopal Branch, 53, Arera Hills,
Narmadapuram Road, Bhopal-462011
Phone: 0755-2554821 & 2764037
Fax: 0755-2557452
E-mail: srdagaebhopal@cag.gov.in

DAG (W&A)/Sectt/2026-27/D-53 Date 07.07.2026

प्रति,

मध्यप्रदेश के विभिन्न निर्माण संभागों (PWD, WRD, PHE)
ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा (RES) एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
के समस्त कार्यपालन यंत्री जो कि संभागीय लेखापाल संवर्ग अधिकारी
/ कर्मचारी के विषय में रिपोर्टिंग अधिकारी हैं।

विषयः संभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने संबधित पत्रों बावत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न संभागों द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले कुछ पत्रों को इस कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रेषित किया जा रहा है।

साथ ही यह भी लेख है कि इस कार्यालय को email के माध्यम से प्रेषित किये जाने वाली जानकारी में पूर्ण विषय एवं सम्बंधित संभागीय लेखापाल संवर्ग अधिकारी / कर्मचारी (जिसके संबंध में पत्र प्रेषित किया जा रहा है) के नाम एवं पद का उल्लेख ना होना भी संज्ञान में आया।

अतः इस संबंध में लेख है कि इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने संबंधी कोई भी पत्राचार (जो की पूर्व में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र, जो किसी अन्य अधिकारी / प्राधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया हो, का प्रत्युत्तर हो, के अतिरिक्त) उप महालेखाकार (निर्माण लेखा), कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.) म.प्र., भोपाल शाखा को संबोधित करते हुए प्रेषित किया जाए एवं यदि पत्र email के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है तो email में पूर्ण विषय एवं सम्बंधित संभागीय लेखापाल संवर्ग अधिकारी / कर्मचारी (जिसके संबंध में पत्र प्रेषित किया जा रहा है) के नाम एवं पद का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाए।

यह पत्र उप महालेखाकार (निर्माण लेखा) द्वारा अनुमोदित है।

भवदीय,

sd/-

वरिष्ठ लेखाधिकारी
निर्माण विविध - I

प्रति,

समस्त संभागीय लेखापाल संवर्ग अधिकारी / कर्मचारी, मध्य प्रदेश को उक्त पत्र को सम्बंधित कार्यपालन यंत्रियों के संज्ञान में लाने एवं आपके द्वारा इस कार्यालय से किये जाने वाले पत्राचार में अधिकारिक email के इस्तेमाल एवं email के माध्यम से प्रेषित किये जाने पत्र के email में पूर्ण विषय लिखे जाना सुनिश्चित किये जाने सम्बंधित निर्देश के अनुपालन हेतु प्रेषित।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
निर्माण विविध - I